CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

First draft received: 12.06.2023, Reviewed: 18.06.2023, Accepted: 26.06.2023, Final proof received: 30.06.2023

सशक्त शिक्षक शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

डॉ.सुनीता मुर्डिया
एसोसिएट प्रोफेसर
लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ(डीम्ड–टू–बी) विश्वविद्यालय, डबोक–उदयपुर(राज.)
Email - sonumurdia@gmail.com, *Mob.-9829030058*

सारांश

विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम शिक्षक शिक्षा है। इस सन्दर्भ में चट्टोपाध्याय आयोग न कहा, यदि स्कूली शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे पढ़ाने के उपागम में क्रान्ति लाएं तो वह क्रान्ति पहले शिक्षा के कॉलेजों में होनी चाहिए।

मुख्य शब्द : *शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षक–शिक्षा, चिंतनशीलता एवं संवेदनशीलता आदि.*

विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम शिक्षक शिक्षा है। इस सन्दर्भ में चट्टोपाध्याय आयोग न कहा, ''यदि स्कूली शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे पढ़ाने के उपागम में क्रान्ति लाएं तो वह क्रान्ति पहले शिक्षा के कॉलेजों में होनी चाहिए।'' (शिक्षक एवं समाज, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट (1983–85), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 48)

समय–समय पर शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करने, उसे अधिक प्रभावी एवं पुनर्गठित करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिससे इसे अधिक लचीला एवं आवश्यकता आधारित बनाया जा सके।

शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों का मुख्य कार्य प्रभावी शिक्षकों को तैयार करना है। भावी पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। समाज शिक्षकों से कई प्रकार की अपेक्षाएं करता है तथा शिक्षक उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे इसका प्रयास शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किया जाता है। NCF-2005 में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि शिक्षकों में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सन्दर्भों में समझने की कला होनी चाहिए, उनके सीखने के प्रकार, गति तथा तरीकों के आधार पर विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। उनमें उपयुक्त क्षमता, लगन, उत्साह, चिंतनशीलता एवं संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। वे ज्ञान को पाठ्य–पुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर व्यक्तिगत एवं साझा सन्दर्भों में ज्ञान के निर्माण की ओर विद्यार्थियों को प्रवृत करें। विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करे, साथ ही सीखने वालों को स्वायत्तता प्रदान करें।

विद्यार्थियों को मात्र एक दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक इकाई न मानकर सक्रिय सहभागी के रूप में देखें तथा उनके मनोविज्ञान के अनुरूप अधिगम परिस्थितियों का सृजन करें। सैद्धान्तिक ज्ञान से प्रायोगिक एवं प्रायोगिक से सिद्धान्त निर्माण को बढ़ावा देने के साथ अलग–अलग परिवेश के विद्यार्थियों के अनुरूप नवीन संस्थितियों का निर्माण करें।

NCF–2005 की अनुशंसाओं को शिक्षक शिक्षा में किस सीमा तक कियान्वित किया गया यह मंथन का विषय है। इसके 10 वर्षों बाद सम्पूर्ण भारत में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को एक वर्ष के स्थान पर द्विवर्षीय बना दिया गया। इसके मूल में शिक्षाविदों की यह सोच रही कि इन दो वर्षों में भावी अध्यापकों को अन्य प्रश्न पत्रों के साथ भाषा सम्बन्धी समझ विकसित करने, कला एवं अभिनय का ज्ञान प्रदान करने, स्वयं को समझने, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में पारंगत होने, अध्ययन की गयी विषय–वस्तु पर अपने विचारों को प्रतिबिम्बित करने आदि में पारंगत किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य व्यासायिक पाठ्यक्रमों की भांति इसमें भी 6 महीने के इण्टर्नशिप कार्यक्रम को जोड़ा गया जिससे भावी अध्यापकों को विद्यालयी जीवन के वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके। इस हेतु प्रथम वर्ष में 24 दिन एवं द्वितीय वर्ष में 96 दिवसीय इण्टर्नशिप का प्रावधान रखा गया।

द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु NCTE एवं NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी सुझायी गयी। इसके अनुरूप विश्वविद्यालयों ने बी.एड. पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन प्रकार से सृजित किया। इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू हुए लगभग सात वर्ष हो गए है लेकिन वर्तमान में यदि हम शिक्षक शिक्षा की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो पायेंगे कि शिक्षक शिक्षा की स्थिति विगत 15–20 वर्षों में और अधिक चिन्तनीय हो गयी है। इन संस्थाओं से निकलने वाले अध्यापकों पर देश के भावी भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को तैयार करने का उद्देश्य अभी इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसके मूल में निहित प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है–

- शिक्षक शिक्षा संस्थानों की संख्या में असीमित वृद्धि होना।

- इन संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण नहीं करना।
- प्रवेश परीक्षा द्वारा योग्य उम्मीद्वारों का चयन न हो पाना आदि।
- प्रवेश लेने वाले छात्राध्यापकों का महाविद्यालय में नियमित न रहना।
- वास्तविक अधिगम के स्थान पर उपाधि केन्द्रित दृष्टिकोण आदि।

वर्तमान में प्रत्येक राज्य अलग–अलग प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीद्वारों का चयन करता है। इन उम्मीद्वारों की पात्रता हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के स्नातक में 50% एवं आरक्षित वर्ग हेतु 45% अनिवार्य है। अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के समान इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशतांक एवं प्रवेश परीक्षा के स्तर में उन्नयन अपेक्षित है। वर्तमान में आवेदन करने वाले अधिकांश छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित हो जाते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि जिस छात्र का अध्यापन व्यवसाय के प्रति दृढ़ समर्पण हो, जिसमें शिक्षण की वास्तविक अभिक्षमता हो, वे ही इस व्यवसाय में प्रवेश लें। शिक्षक जो सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तम्भ है उनका चयन उत्कृष्टता के मापदण्डों पर खरा उतरने के पश्चात् होना चाहिए। परन्तु वास्तव में जिसके सामने अन्य विकल्प न हो वे इस विकल्प का चुनाव करते हैं।

प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के उपरान्त छात्र ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश को वरीयता देते हैं जिनमें उन्हें नियमित उपस्थिति नहीं देनी पड़े। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश उपरान्त जो स्थितियां दृष्टिगोचर होती है वो इस प्रकार है–

- चुनिन्दा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी में भावी अध्यापकों की उपस्थिति बहुत न्यून रहती है क्योंकि महाविद्यालय प्रबन्धन एवं भावी अध्यापक दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं।
- अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की भर्ती नहीं की जाती है। जिन संकाय सदस्यों को नियुक्ति दी जाती है उन्हें भी कम समय एवं कम वेतनमान पर रखा जाता है ऐसे में गुणात्मक शिक्षा की अपेक्षा पर भी प्रश्न चिह्न लग जाता है।
- द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद तो इण्टर्नशिप कार्यक्रम की स्थिति बद्तर हो गयी है। यों तो भावी अध्यापकों हेतु विद्यालयों में एक मेण्टर शिक्षक नियुक्त किया जाता है लेकिन वास्तविकता में उनकों उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तथा उन्हें विद्यालय में प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण शिक्षक मान लिया जाता है। जबकि उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराने एवं उसके लिए तैयार करने हेतु विद्यालयों में भेजा जाता है।
- यह भी देखा गया है कि कई बार भावी अध्यापक इण्टर्नशिप में पूरे समय विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते, उनका उद्देश्य मात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही रह जाता है।
- कई बार इण्टर्नशिप में भावी अध्यापकों से वो कार्य करवाए जाते हैं जो स्थानीय विद्यालयों की आवश्यकता है, उनका इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि उन्हें ऐसे कौनसे अनुभव प्रदान किए जाए जो उसको शिक्षण को व्यवसाय के रूप में चुनने में सहायक होंगे।
- शिक्षक शिक्षा संस्थानों के हाथ में इण्टर्नशिप कार्यक्रम न रहने के कारण वे भावी अध्यापकों को शिक्षण की बारीकियों से अवगत नहीं करा पाते हैं।
- बी.ए.–बी.एड. एवं बी.एससी.–बी.एड. एकीकृत पाठ्यक्रमों में अध्यापन करवाने वाले संकाय सदस्यों की विषय पर पकड़ के सम्बन्ध में भी समस्या अनुभव की जा रही है। जो संकाय सदस्य लम्बे समय से बी.एड. महाविद्यालयों में अध्यापन करवा रहे हैं उनकी अपने विषय पर पकड़ कुछ कम हो गयी और उन्हें उन विषयों का अध्यापन करवाना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर डिग्री कॉलेज में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों की शिक्षण सम्बन्धी बारीकियों पर पकड़ ढीली है।

ऐसे ही ऐसी कई अनगिनत समस्याओं से आज शिक्षक शिक्षा संस्थान झूंझ रहे हैं। जितना शिक्षक शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, वे उतने ही उससे दूर होते जा रहे हैं।

उपरोक्त समस्याओं को दूर करने एवं शिक्षक शिक्षा के आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन करने हेतु 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार है–

1. अध्यापक शिक्षा के सभी कार्यक्रम बहुविषयी संस्थानों में आयोजित किए जाए।
2. वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों में बदला जाए क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।
3. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में छात्राध्यापकों को अत्याधुनिक शिक्षण शास्त्र के साथ समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और उसके मूल्यों/लोकाचार/कला/परम्पराएं आदि भी शामिल किए जाए।
4. 4वर्षीय एकीकृत डिग्री प्रदान करने वाले उच्चत्तर शिक्षण संस्थान पहले से स्नातक डिग्री ले चुके विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय बी. एड. एवं ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष की स्नातक डिगी प्राप्त की हो उनके लिए एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित किया जाए।
5. उत्कृष्ट उम्मीद्वारों को आकर्षित करने हेतु 4 वर्षीय, 2 वर्षीय एवं एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियाँ दी जाए।
6. ऐसे संस्थानों में विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएं साथ ही सार्वजनिक एवं निजी विद्यालयों का एक नेटवर्क हो जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों को सम्पादित कर सके।
7. सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में प्रवेश समान मानकों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण ऐजेन्सी द्वारा आयोजित करवाया जाए।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार सभी संकाय सदस्यों के लिए पीएच.डी. उपाधिधारक होना अनिवार्य नहीं होगा वरन् उनकी प्रोफाइल में विविधता होना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सुझावों पर दृष्टिपात करे तो यह पायेंगे कि इसमें एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अपेक्षा बहु विषयक संस्थानों पर बल दिया गया हैं। साथ ही इसमें पाठ्यक्रम की अवधि, विषयों एवं अध्यापकों की योग्यता के सम्बन्ध में अधिक लचीलेपन की बात कही गयी है।

यदि हम एक अच्छे शिक्षक की संकल्पना को साकार करना चाहते है तो यह अतिआवश्यक है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी भाषा उत्कृष्ट, विषय एवं वाक् शैली पर पकड़, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की गौरवशाली परम्पराओं का ज्ञान एवं जिनकी इस व्यवसाय में वास्तविक रूचि एवं अभिक्षमता हो वे निश्चय ही भविष्य में एक अच्छे शिक्षक सिद्ध होंगे। यह तभी सम्भव है जब उनकी नींव मजबूत हो। अतः सेवापूर्व एवं सेवा में चयन हेतु शिक्षकों के व्यक्तित्व के इन आयामों का संवर्द्धन आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य है।

नयी शिक्षा नीति–2020 शिक्षक–शिक्षा के बेहतर अभिमुखीकरण एवं पैराडाइम बदलाव की ओर उठाया गया एक सशक्त कदम है। नवीन परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षक शिक्षा संस्थानों को तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या एवं शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में जुड़ाव हो तथा शिक्षा नीति–2020 के प्रकाश में शिक्षक–शिक्षा में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाने हेतु सेमिनार/वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, वर्तमान शिक्षक शिक्षा को सशक्त किया जाए।

सन्दर्भ साहित्य

- The Teacher and Society. Report of the National Commission on Teachers, 1983, Government of India, New Delhi.
- National Curriculum Framework 2005, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- https://nvshqorg.
- https://newsonair.com
- https://www.new18.com
- https://www.hindusttimes.com
- https://hindi.careerin.com
- https://thesimplehelp.com
- https://www.drifas.com